भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 220 #

गुरूवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

उत्तर प्रदेश में वेलनेस पर्यटन

220 # श्रीमती दर्शना सिंह:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में मेडिकल वीजा पर कितने विदेशी पर्यटक आए और उनकी संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) 'हील इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को क्या सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या वाराणसी और लखनऊ जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर विदेशी मरीजों के लिए मेडिकल डेस्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) आयुष आधारित वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

श्रीमती दर्शना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में वेलनेस पर्यटन के संबंध में दिनांक 12.03.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के मौखिक प्रश्न संख्या 220 # के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

(क): आप्रवासन ब्यूरो राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी पर्यटकों के आगमन की जानकारी एकत्रित करके पर्यटन मंत्रालय को प्रदान करता है। वर्ष 2025 के दौरान चिकित्सा वीजा पर भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या और वर्ष 2024 की तुलना में उसमें प्रतिशत परिवर्तन निम्नानुसार है:

चिकित्सा वीजा पर भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या		**प्रतिशत परिवर्तन**
2024	**2025 (अनंतिम)**	
644,387	502,845	-21.97

(ख): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वांछित जानकारी उनके द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग): विदेशी पर्यटकों के लिए मेडिकल डेस्क का अलग से कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, वर्तमान में सभी हवाई अड्डों पर आगमन या प्रस्थान के दौरान अस्वस्थ महसूस करने वाले किसी भी यात्री को प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। ऐसे यात्रियों को हवाई अड्डे पर उपलब्ध चिकित्सा जांच कक्ष में उपचार दिया जाता है। ये सुविधाएं आमतौर पर उन अस्पतालों द्वारा संचालित की जाती हैं जिन्हें संबंधित हवाई अड्डा संचालक द्वारा हवाई अड्डे के परिसर के भीतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त या संबद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, नियमित जन स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जन स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों (पीएचईआईसी) के दौरान, हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठन (एपीएचओ) अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी जांच करता है। यदि कोई यात्री अस्वस्थ या ऐसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त पाया जाता है जिसके लिए तुरंत उपचार की आवश्यकता हो, तो उसे निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार निर्दिष्ट चिकित्सा सुविधा केंद्र या अस्पताल में आगे की चिकित्सा जांच और उपचार के लिए भेज दिया जाता है।

(घ): उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अनुसार, राज्य इस नीति की वैध अवधि के दौरान राज्य में स्थापित नई पर्यटन इकाइयों को सब्सिडी और कई अन्य प्रोत्साहन प्रदान करता है। आयुष-आधारित वेलनेस सेंटर और वेलनेस रिसॉर्ट भी समर्थित श्रेणियों में शामिल हैं।

उन्होंने आगे यह बताया है कि

i. राज्य में स्थापित सभी नई इकाइयों को 100% स्टांप शुल्क छूट, विकास शुल्क और कन्वर्जन शुल्क में छूट प्राप्त करने का अधिकार है और
ii. वे 25 से 30% पूंजीगत छूट या ब्याज पर छूट का लाभ भी उठा सकते हैं।

*****